कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-0135-2767611

संख्याः– 344 / FP/UK/ROAD/49512/2020 देहरादूनः दिनांक 4 अगस्त, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के विकास खण्ड भिलंगना में मूलगढ़–ठेला–गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढ़ी से पाण्डव गांव तक विस्तार कार्य के निर्माण हेतु 4.447 हे0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 29.06.2021

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 29.06.2021 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती के पत्रांक 236/12–1 दिनांक 30.07.2021 से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	On perusal of the proposal it seen that a separate proposal having online No. FP/UK/ROAD/42172/2019 To connect Bhilangana and kirtinagar (3.9737 ha.) With felling of 719 trees was earlier proposed and the alignement of this road is connected with the proposed alignment FP/UK/ROAD/42172/2019. The State govt. may provide a justification to submit to separate proposal and submit Consolidated proposal.	उपरोक्त आपत्ति के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा निराकरण प्रस्तुत करते हुये स्पष्ट किया है कि वन भूमि ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/49516/2020 अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली के अन्तर्गत भेलगढ़ी से पाण्डवगांव तक मोटर मार्ग प्रस्तावित है तथा FP/UK/ROAD/42172/2019 अ0सं0, लो0नि0वि0, कीर्तिनगर के अन्तर्गत धार पयांकोटी मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से स्यालसोड–पन्याली होते हुये। बनतोलीखाल नैनचामी (पांण्डवगांव) तक मोटर मार्ग प्रस्तावित है। भेलगढ़ी से पाण्डवगांव तक मोटर मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या–2171/111(2)/16–09 (एम0एल0ए0)/2015, दिनांक 19–07–2016 के द्वारा अ0ख0,लो0नि0वि0, घनसाली को प्राप्त हुई है तथा स्यालसौड–पन्याली हेतु हुये बनलोलीखाल नैलचामी (पाण्डवगांव) तक मोटर मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत शासनादेश सं0– 382/111(2)/17–10 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 01.08.2017 के द्वारा अ0ख0,लो0नि0वि0, कीर्तिनगर को प्राप्त हुई है। प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति अलग–अलग खण्डों व अलग वर्षों में प्राप्त होने के कारण उक्त मोटर मार्ग को वन भूमि प्रस्ताव दो भागों में गठित किया गया है।
2	It is seen that the alternatives for the proposal has not been expolored. State govt. may explore the alternatives alignment in view of avoiding the dense path of the forest.	उपरोक्त आपत्ति के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा निराकरण प्रस्तुत करते हुये स्पष्ट किया है कि भेलगढी से पाण्डवगांव मोटर मार्ग का सम्पूर्ण क्षेत्र अतिसघन वनों से आच्छादित होने के कारण वैकल्पिक समरेखण पर विचार नहीं किया गया है। यदि वैकल्पिक क्षेत्र अधिग्रहीत होगा तथा अधिकाशं वृक्षों के पातन होने की सम्भावना भी बनी रहेगी।

3	State govt. is also requested to submit the detailed justification for connecting two existing road having very dense forest area and large number of trees.	उपरोक्त आपत्ति के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा निराकरण प्रस्तुत करते हुये स्पष्ट किया है कि भिलंगना विकास खण्ड का नैलचामी पट्टी क्षेत्र शैक्षणिक व सास्कृतिक दृष्टि से कीर्तिनगर विकासखण्ड से काफी पहले से जुडा रहा है तथा इस क्षेत्र के लोग उच्च शिक्षा गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर से ग्रहण करते रहे हैं। इस पट्टी की जिला मुख्यालय नई टिहरी से दूरी लगभग 50 कि0मी0 है। प्रस्तावित मार्ग के निर्माण से क्षेत्रावासियों को मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से भी स्वास्थ्य सुविधाओं का भी प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।
4	State govt. is also requested to submit the distance of Bhilangana to Kirtinagar and existing distance reduced form this road duly authenticated by compertent authority.	उपरोक्त आपत्ति के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा निराकरण प्रस्तुत करते हुये स्पष्ट किया है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से विकास खण्ड भिलंगना की नैलचामी पट्टी (जनसंख्या लगभग 15000) को कीर्तिनगर से सड़क संयोजकता प्राप्त होगी। इस क्षेत्र के केन्द्र बिन्दु ठेला (नैलचामी) से कीर्तिनगर की दूरी मात्र 49 कि0मी0 रह जायेगी, जो कि वर्तमान में जाखधार होते हुये 75 कि0मी0 है। अतः मोटर मार्ग के निर्माण से सड़क मार्ग की दूरी 26 कि0मी0 कम होगी, तथा इस क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–58 के मुख्य विपणन केन्द्र कीर्तिनगर व श्रीनगर से प्रत्यक्ष सड़क संयोजकता प्राप्त होगी।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या / FP/UK/ROAD/49512/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्रांक 236/12–1 दिनांक 30.07.2021 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून